तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज़ अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/459 उनवान केसाराम बनाम मेनपाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.2025	पत्रावली अपीलान्ट के वकील श्री महावीर शेरावत एड. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2025, आवेदन बाबत मिसल तलबी, आवेदन पत्र कायम मुकाम अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. मय वकालतनामा, प्रार्थना पत्र बाबत अपील को नोटप्रेस में खारिज करने पर आज पेश हुई। वकील अपीलान्ट की बहस प्रार्थना पत्र वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवेदन बाबत मिसल तलब कर सुनवाई किये जाने, आवेदन पत्र कायम मुकाम अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. मय वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थना पत्र बाबत अपील को नोटप्रेस में खारिज किये जाने पर आज पेश हुई। वकील अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र कायम मुकाम अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपीलांट केशाराम पुत्र गोरूराम के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाता है। वकील अपीलान्ट संशोधित उनवान पेश करें। पेश करें। पेश किया। शा.फा. हो। वकील अपीलान्ट ने आवेदन बाबत मिसल तलबी एवं आवेदन बाबत अपील को नोटप्रेस में खारिज किये जाने किये जाने के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील में तारीख पेशी 18.08.2025 नियत है। प्रस्तुत अपील में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है। पक्षकारान में आपसी राजीनामा हो जाने के कारण अब अपीलांट्स अपनी उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहते है तथा अपने द्वारा प्रस्तुत अपील को नोटप्रेस में खारिज करवाना चाहते हैं। इसलिए आज ही उक्त प्रकरण की पत्रावली तलब किया जाना प्रार्थनीय है। उपरोक्त उनवानी अपील में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस के मध्य में राजीनामा हो गया है। पक्षकारान में आपसी राजीनामा हो जाने के कारण अब अपीलांटस अपनी उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं तथा अपने द्वारा प्रस्तुत अपील को नोटप्रेस में खारिज करवाना चाहते है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर अपीलांट की अपील को नोटप्रेस में खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी स्वंय ही प्रस्तुत अपील में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने के कारण अब अपीलांटस अपनी उक्त अपील को आगे नहीं चलाना नहीं चाहते हैं तथा अपने द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को नोटप्रेस में खारिज करवाने चाहते हैं। प्रकरण नामान्तरकरण से संबंधित प्रतीत होता है। चूंकि वकील अपीलार्थी अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा पत्रावली की आदेशिका पर नोटप्रेस अंकित कर दिया गया है इसलिये यह अपील आगे चलाये जाने योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील अपीलान्ट द्वारा अपील नोटप्रेस किये जाने के कारण अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखित दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (दीप्ति कछवाहा) अति. संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	18/6/25 Not press

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त